

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2148 / 2008 व 2149 / 2008 / सिरौही

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
करापवंचन, वृत्त पाली  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स वर्धमान पेट्रोलियम,  
आबूरोड़ (सिरौही)।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक : 10/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा, के अपील संख्या 3/आरएसटी/सिरौही/2007-08 व अपील संख्या 4/सीएसटी/सिरौही/2007-08 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 15.05.2008 के विरुद्ध पेश की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, करापवंचन, वृत्त आबूरोड़ जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा, द्वारा पारित पृथक-पृथक पारित आदेशों दिनांक 13.04.2007 को अपास्त किया गया है। इन प्रकरणों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 27.09.2012 को आदेश पारित किये गये थे जबकि प्रकरण में विवादित राशि 10 लाख से अधिक होने के कारण इन अपीलों का निस्तारण माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा ही किया जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्रों को माननीय एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 24.09.2013 से स्वीकार करते हुए प्रकरणों को खण्डपीठ के समक्ष नियत किये जाने के आदेश किये गये। अतः इस खण्डपीठ द्वारा प्रकरणों में पुनः सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने से इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जावेगी।

3. अपील संख्या 2148 / 2008 / सिरौही :- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध दिनांक 29.1.2006 को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 78(5) के तहत वाद बनाया जाकर धारा 72(3) के तहत प्रशामित किया गया था। व्यवहारी की करवंचना प्रवृत्ति को देखते हुए विभाग द्वारा व्यवहारी को दिनांक 7.3.2006 व 10.3.2006 को अपने समस्त लेखे पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। इस दौरान विभाग द्वारा व्यवहारी के ऑन लाइन से विक्रय आकड़े चैक पोस्ट से प्राप्त किये गये। दिनांक 10.3.2006 को व्यवहारी द्वारा बिल संख्या 01 दिनांक 3.10.2005 से बिल संख्या 39 दिनांक 6.3.2006 बिक्री के लूज बिल वास्ते जांच सत्यापन पेश किये। व्यवहारी को वर्ष 2005-06 के लेखा पेश करने हेतु दिनांक 20.3.2006 हेतु पुनः नोटिस जारी

लगातार.....2

किया। उक्त दिनांक को व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने मय वकालतनामा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रकरण से सम्बन्धित समस्त रेकार्ड की प्रतिलिपियाँ चाही गई। व्यवहारी को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में कई अवसर प्रदान किये गये। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष की बहियात एवं वार्षिक विवरण प्रपत्र पेश नहीं करने के कारण रू0 2,70,200/- पर 12 प्रतिशत से कर रू0, 32,424/-, शास्ति रू0 3,980/- तथा ब्याज 4,215/- कुल रू0 40,619/-प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध मांग सृजित की गई।

**अपील संख्या 2149/2008/सिरोही :-** प्रकरण में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम जिसे आगे 'CST Act.' कहा जायेगा, की धारा 9 के अन्तर्गत रू0 70,68,855/- पर 12 प्रतिशत कर रू0 8,48,263/- व रू0 36,26,415/- पर 24 से कर रू0 70,340/-, शास्ति रू 1,56,929/- तथा ब्याज रू0 7,860/- कुल रू0 18,83,392/- की मांग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इन आदेशों के विरुद्ध, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के इस संयुक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी- विभाग द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा बिना दस्तावेजों से माल परिवहन किया जा रहा था तथा अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रकरण को प्रशिमत (compounded) करवाया था। इस प्रवृत्ति के मध्येनजर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (जिसे आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) ने व्यवहारी के बिलों की जांच चैक पोस्ट के रेकार्ड से उपायुक्त(प्रशासन) पाली के माध्यम से करवाई गई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार Online वैट संकलन करने पर रू0 36,26,415/- की फ्यूल की बिक्री अधोषित पाई गई इसलिए जांच अधिकारी ने प्रत्यर्थी का टर्न ओवर स्वयं की आर्थिक सीमा से अधिक होने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की। कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वोत्तम बुद्धि से अधिनियम एवं CST Act के तहत कर ब्याज आरोपित किये तथा करापवंचन की मंशा से बिक्री घोषित नहीं करने के कारण शास्ति भी आरोपित की। लेकिन अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तावित नोटिस में अस्थाई कर निर्धारण हेतु धारा 28 अंकित करने व प्रकरण अवधिपार होने व विशिष्ट नोटिस नहीं देने के आधार पर मांग को अपास्त किया है साथ ही अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क उचित माना कि प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां चाहने पर भी उपलब्ध नहीं कराई, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विक्रय माल का सत्यापन लेखा पुस्तकों से नहीं कराया तथा करापवंचन अधिकारियों ने बाद जांच करापवंचित बिक्री पाई है। इसलिए कर, ब्याज व शास्ति को बहाल करने का अनुरोध किया है।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि करापवंचन अधिकारियों ने मात्र एक वाहन के संव्यवहार को बिना दस्तावेज पाकर आलोच्य अवधि के लिए कर निर्धारण किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त किया है जो कि अविधिक है क्योंकि करापवंचन अधिकारियों ने प्रत्यर्थी की कोई जांच नहीं की थी। इसके अतिरिक्त यह भी कथन है कि अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति सहायक

वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आरोपित की गई थी जबकि कर निर्धारण सहायक आयुक्त द्वारा किया गया है। प्रतिकरापवंचन शाखा के अधिकारियों को स्वयं द्वारा बनाये गये करापवंचन प्रकरणों में स्वतंत्र रूप से क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी किसी प्रकरण को वाणिज्यिक कर अधिकारी को स्वयं स्थानान्तरित नहीं कर सकता है बल्कि आयुक्त वाणिज्यिक कर धारा 41 के तहत स्थानान्तरण हेतु सक्षम है इसलिए भी विवादित कर निर्धारण क्षेत्राधिकार से बाहर है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2005-06 का अस्थाई कर निर्धारण हेतु धारा 28 के तहत कर नोटिस जारी किया गया था जबकि कर निर्धारण धारा 29(7) के तहत किये गये है जो कि अविधिक है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना क्षेत्राधिकार व उचित नोटिस के आदेश पारित अविधिक है इसलिए प्रकरण प्रतिप्रेषित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकरण अवधिपार है। तर्क के समर्थन में (2002) 1 RTR 94 (RTB) का दृष्टान्त पेश किया। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.3.2006 को कर निर्धारण अधिकारी से विवादित बिलों/दस्तावेजों की प्रतियां चाही गई थी वे भी उपलब्ध नहीं कराई गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। करापवंचित बिक्री प्रमाणित करने का दायित्व कर निर्धारण अधिकारी का है जो कि प्रमाणित नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने करापवंचन अधिकारियों का क्षेत्र नहीं होने, उचित धारा के तहत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं होने व सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं करने के कारण अपीलों को अपास्त कर विधिक आदेश पारित किये है अतः उनकी पुष्टि की जाकर अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन द्वितीय, आबूरोड़ ने 29.1.2006 को प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिना दस्तावेज बिक्रीत किये माल के संबंध में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति जरिये प्रशमन वसूल की थी। इस करापवंचन की प्रकृति को देखते हुए चैक पोस्ट आबूरोड़ से व्यवहारी द्वारा प्रेषित माल की विगत दिनांक 7.2.2006 को प्राप्त होने पर दिनांक 7.2.2006 को अधिनियम की धारा 77(1) के तहत वर्ष 2005-06 की नियमित बहियात पेश करने हेतु नोटिस जारी किया। दिनांक 10.3.2006 को व्यवहारी द्वारा नियमित विक्रय बिल पेश किये गये जिनके अनुसार बिल संख्या 1 दिनांक 3.10.2005 से बिल संख्या 39 दिनांक 6.3.2006 तक वेस्ट फ्यूल की बिक्री रू0 37,12,640/- कर रू0 1,42,062/- विक्रय कर वसूल किया। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने व्यवहारी के लेखा पुस्तकों में घोषित बिक्री तथा चैक पोस्ट से प्राप्त बिलों से तुलनात्मक विवरण(जांच) व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तैयार करते हुए पाया कि व्यवहारी द्वारा कुल विक्रय रू0 73,39,415/- किया गया है जबकि नियमित लेखा पुस्तकों में रू0 37,12,645/- की बिक्री घोषित की गई है। जांच अधिकारी ने स्वयं के क्षेत्राधिकार से अधिक टर्न ओवर होने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 10.3.2006 को अधिनियम की धारा 28, धारा 65 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 सपठित धारा 9 CST Act के तहत नोटिस जारी किया। दिनांक 20.3.2006 को व्यवहारी को घोषित वसूल कर 3 दिन में जमा कराने के निर्देश

दिये। व्यवहारी द्वारा नियमित कर जमा नहीं करने व नोटिस दिनांक 10.3.2006 का जवाब पेश नहीं करने के कारण पुनः नोटिस सुनवाई तिथि 17.4.2006 के लिए नोटिस दिनांक 28.3.2006 को जारी किया गया जिसके साथ चैक पोस्ट से प्राप्त विक्रयों का चार्ट की प्रति भी दी गई जिसे व्यवहारी ने लेने से इन्कार करने पर व्यवसाय स्थल पर चस्पा करवाया गया। यह नोटिस अधिनियम की धारा 28, 65 सपठित धारा 9 CST Act जारी किया। व्यवहारी द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए रेकॉर्ड पेश नहीं करने व नियमित घोषित कर जमा नहीं कराने के कारण पुनः नोटिस सुनवाई तिथि 20.11.2006 के लिए दिनांक 30.10.2006 को जारी किया गया जिसके साथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संकलित दस्तावेजों बिल,बिल्टी की प्रतियां भी प्रेषित की गई। इस नोटिस का जवाब प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया कि अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रकरण अवधिपार हो गया है इसलिए इस नोटिस के अनुसार कोई कार्यवाही किया जाना अविधिक होगा। इसलिए प्रकरण समाप्त कराने का निवेदन किया गया। पुनः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 28, 65 सपठित धारा 9 CST Act के नोटिस दिनांक 26.12.2006 व 28.3.2007 के जारी किये गये। व्यवहारी के द्वारा लेखा पुस्तकें पेश नहीं करने तथा करापवंचित बिक्री के बारे में कोई जवाब पेश नहीं करने के कारण एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधिनियम की धारा 29(7) व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 के तहत विवादित मांग दिनांक 13.4.2007 को सृजित की गई।


अपीलीय अधिकारी द्वारा सृजित मांग को इस आधार पर अपास्त किया गया है कि प्रतिकरापवंचन अधिकारियों द्वारा सर्वे अथवा अन्य प्रकार से करापवंचन का प्रकरण नहीं बनाने के कारण क्षेत्राधिकार नहीं है, कर निर्धारण आदेश धारा 29(7) के तहत पारित किया गया है जबकि नोटिस धारा 28 के तहत जारी थे। धारा 29(7) के तहत कर निर्धारण हेतु विशिष्ट नोटिस नहीं दिये गये थे। धारा 28 के नोटिस करापवंचन का प्रकरण बनने के छः माह बाद कर निर्धारण किये गये है। अपील स्वीकार करने का यह भी कारण बताया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को मूल दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं कराये गये जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। इसके अलावा शास्त्रि अन्तर्गत धारा 65 व 61 के विशिष्ट नोटिस भी नहीं दिये गये थे। अपीलीय अधिकारी का निर्णय प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया व्यवहारी प्रत्यर्थी with clean hand नहीं है उनको सूचना पत्र के द्वारा समय-समय परयह सूचना थी कि उनके द्वारा कारित कतिपय संव्यवहार अपने बहियात प्रस्तुत कर सत्यापित करवाये जाने थे परन्तु उसके द्वारा जानबूझकर बहियात प्रस्तुत नहीं किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रस्तुत विक्रय बिलों संख्या 1 से 39 की जांच दिनांक 10.3.2006 को की थी तथा चैक पोस्ट से ऑन लाइन प्राप्त विक्रय सूची व दस्तावेजों के आधार पर तुलनात्मक जांच रिपोर्ट तैयार की थी। व्यवहारी द्वारा इस नियमित लेखा पुस्तकें पेश नहीं करने के कारण चैक पोस्ट से प्राप्त रेकॉर्ड का सत्यापन नहीं हो सका। व्यवहारी का आलोच्य अवधि में टर्न ओवर जांच अधिकारी की अधिकारिकता सीमा से अधिक होने के कारण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के नियम 4 अनुसार विधिसम्मत है। इसलिए प्रकरण प्रतिकरापवंचन वृत्त आबूरोड़ के अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में होने का विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किया जाता है।


कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बार-बार व्यवहारी को अधिनियम की धारा 28, 65 सपठित धारा 9 of CST Act नोटिस जारी किये जाते रहें है तथा साथ में चैक पोस्ट से प्राप्त रेकड़ भी उपलब्ध कराया जाता रहा है जो कि नोटिस जारी दिनांक 17.4.2006, 30.10.2006, 26.12.2006 व 28.3.2007 से स्पष्ट होता है फिर भी व्यवहारी द्वारा स्वयं स्वीकार कर भी जमा नहीं कराया गया जो कि कर Avoidance का मामला है, न ही नियमित लेखा पुस्तकें वास्ते जांच व सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने हर नोटिस में सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण का जिक्र किया है तथापि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। जब वित्तिय वर्ष 2005-06 समाप्त हो चुका था तब सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण धारा 29(7) के तहत ही हो सकता था जो कि किया गया हैं व्यवहारी द्वारा बार-बार नोटिस के बावजूद रेकड़ पेश नहीं किया गया है जो कि प्रत्यर्थी का असहयोगात्मक रवैया स्पष्ट करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे जांच चौकी से प्राप्त रेकार्ड भी नोटिस के साथ उपलब्ध करा दिये गये थे।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण प्रतिप्रेषित नहीं करने के संबंध में तर्क दिया है कि करापवंचन अधिकारियों का अधिनियम की धारा 28 के तहत क्षेत्राधिकार समाप्त हो चुका है। तर्क के समर्थन में (2002) 1 RTR 94 का दृष्टान्त पेश किया है जिसमें पुनः कर निर्धारण की समय सीमा समाप्त हो चुकने के बाद नोटिस जारी किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किये जाने के वक्त तक प्रकरण अवधिपार नहीं हुए है इसलिए यह दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरणों से सुभिन्नकारी होने के कारण प्रासंगित नहीं है।

न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से नोटिस मय दस्तावेजी साक्ष्य जारी करें तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी अपना पक्ष मय रेकार्ड पेश कर प्रस्तुत करे। अतः इस निर्देश के साथ दोनों प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल) 2017  
सदस्य

  
(खेमराज)  
अध्यक्ष